[24/7/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 4003]

"परिशिष्ट"

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4003 द्वारा श्री नीरज विनोद दीक्षित
प्रश्नांश (क) के उत्तर में वर्णित परिशिष्ट

भू-खण्ड पर जीएसटी देय नहीं है। प्रकोष्ठ व स्वतंत्र आवास पर कर की दर की जानकारी निम्नानसुार है :-

1- प्रकोष्ठ व स्वतंत्र आवास के पूर्ण निर्माण पश्चात विक्रय पर जीएसटी देय नहीं है।

2- प्रकोष्ठ व स्वतंत्र आवास के पूर्ण निर्माण के पूर्व बुकिंग कर विक्रय करने पर जीएसटी की दर निम्नलिखित है :-

अ- 01 अप्रैल, 2019 से पूर्व के चल रहे प्रोजेक्ट पर बिल्डर द्वारा विकल्प चुनने पर, कुल विक्रय मूल्य में से एक तिहाई (भूमि का मूल्य) कम करने के पश्चात, आईटीसी सुविधा के साथ -

(i) अफोर्डेबल रहवास पर 12 प्रतिशत तथा
(ii) नॉन अफोर्डेबल रहवास पर 18 प्रतिशत जीएसटी देय है।

ब- बिल्डर के द्वारा (i) में विकल्प नहीं लेने अथवा 01 अप्रैल, 2019 के पश्चात प्रारंभ किये गये रहवासी प्रोजेक्ट के विक्रय मूल्य में एक तिहाई (भूमि का मूल्य) कम करने के पश्चात, आईटीसी सुविधा के बिना -

(i) अफोर्डेबल रहवास पर 1.5 प्रतिशत तथा
(ii) नॉन अफोर्डेबल रहवास पर 7.5 प्रतिशत जीएसटी देय है।

कॉलोनाइजर बिल्डर द्वारा नियत दर से अधिक दर की वसूली संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

संचालक 11/7/19
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश
इन्दौर